प्रेस विज्ञप्ति

30.09.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), हैदराबाद जोनल कार्यालय ने **29.09.2024** को मेसर्स साहिती इंफ्राटेक वेंचर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एसआईवीआईपीएल) के प्रबंध निदेशक बुदति लक्ष्मीनारायण को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), **2002** के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। उन्हें **30.09.2024** को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), नामपल्ली, हैदराबाद के समक्ष पेश किया गया और माननीय न्यायालय ने उन्हें **14/10/2024** तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

ईडी ने मेसर्स एसआईवीआईपीएल, बी. लक्ष्मीनारायण और अन्य के खिलाफ आईपीसी, 1860 के तहत तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें विश्व स्तरीय आवासीय गेट युक्त समुदाय के निर्माण के लिए "प्री-लॉन्च ऑफर" का विज्ञापन करने और संभावित खरीदारों से भारी मात्रा में राशि एकत्र करने का आरोप है। हालांकि, कंपनी ग्राहकों को फ्लैट देने या उनके पैसे वापस करने में विफल रही और इस तरह उनकी मेहनत की कमाई को ठग लिया। इसके बाद, मेसर्स एसआईवीआईपीएल और अन्य समूह संस्थाओं द्वारा किए गए विभिन्न प्रोजेक्टों के निवेशकों/खरीदारों की शिकायतों के आधार पर कई अन्य एफआईआर दर्ज की गईं। 700 से अधिक घर खरीदारों, जिन्हें फ्लैट/विला देने का वादा किया गया था, के साथ कुल मिलाकर करीब 360 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई।

ईडी की जांच से पता चला कि एसआईवीआईपीएल के पास आवश्यक आरइआरए/एचएमडीए अनुमति नहीं थी। इसके अलावा, परियोजना के लिए कोई एस्क्रो खाता नहीं था और निवेशकों से प्राप्त धन को विभिन्न बैंक खातों में जमा किया गया था और नकद में भी एकत्र किया गया था। बी. लक्ष्मीनारायण ने उक्त निधियों का कुछ हिस्सा अपने व्यक्तिगत बैंक खातों और अपने परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में डायवर्ट कर दिया। नकदी के रूप में भी काफी मात्रा में धन निकाला गया।

ईडी की जांच में यह भी पता चला कि बी. लक्ष्मीनारायण ने एसआईवीआईपीएल के पूर्व निदेशक और सेल्स एवं मार्केटिंग टीम के प्रमुख संदू पूर्णचंद्र राव के साथ मिलीभगत करके घर खरीदने वालों के धन का गबन किया था; और उसके द्वारा अपराध की आय से बेनामी संपत्तियों के नाम पर अचल संपत्तियां अर्जित की गई थीं।

ईडी की जांच के दौरान, बी. लक्ष्मीनारायण लगातार टालमटोल करते रहे, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया और उन्हें जारी किए गए कई समन के जवाब में पेश नहीं हुए। वह लंबे समय तक फरार रहे और उनका पता नहीं चल सका। एक गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, बी लक्ष्मीनारायण को अंततः 29.09.2024 को पकड़ लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया।

इससे पहले, ईडी ने मामले के सिलसिले में विभिन्न परिसरों में तलाशी ली थी, आपत्तिजनक सामग्री, डिजिटल डिवाइस जब्त किए थे और कई बैंक खातों को फ्रीज किया था। इसके अलावा, पीएमएलए जांच के दौरान 161.50 करोड़ रुपये की चल और अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की गई थीं।

आगे की जांच जारी है